

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी)
सोमवार 26 अगस्त, 2002 / भाद्रपद 04 , 1924 (शक)

संख्या : २२४

सदस्यों की नजर बन्दी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित थाना अध्यक्ष ,संसद मार्ग , नई दिल्ली का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

" मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्यो श्री रूप चन्द को दिनांक 23/8/ 2002 के अपराहन 2.25 बजे, पुलिस की विधि-सम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नजर बन्द किया गया ।

उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 16/8/2002 को अपराहन 2.40 बजे रिहा कर दिया गया । "

एस.के.शर्मा
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters)
Monday, 26th August, 2002/ Bhadrapada 04 , 1924(Saka)

No. २२४

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from SHO Police Station, Parliament Street New Delhi:

" I have the honour to inform you that Shri Roop Chand, Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi was detained U/S 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful direction of police at 14.25 hrs. on 23.8.2002

He was released at 1440 hrs. on the same day i.e. 23.8.2002 "

S.K.SHARMA
SECRETARY